न्यायालयः अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 01, ब्यावर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. वीनू नागपाल, आर.जे.एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दी. वि. प्रार्थना पत्र संख्या :– 16/2024
सी.आई.एस. संख्या :– 30/2024

श्री निकेश कुमार पुत्र रामचंद्र, निवासी–गोपाल नगर, मसूदा रोड़, ब्यावर, जिला ब्यावर।

.....प्रार्थी

ः: बनाम :ः

1. आम जनता
2. प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मसूदा, तहसील मसूदा, जिला ब्यावर।
3. श्रीमती शीला देपन पत्नी स्व. रामचंद्र, निवासी–ब्लॉक 180, चंद्रबरदाई नगर, अजमेर, जिला अजमेर।
4. श्रीमती जयश्री पुत्री स्व. रामचंद्र, पत्नी मनोज विश्वास, निवासी–एकता नगर, गली नं. 1, ब्यावर रोड़, अजमेर, जिला अजमेर।
5. श्रीमती राजश्री पुत्री स्व. रामचंद्र, पत्नी शांतिलाल, निवासी–देव नगर, पुरानी चुंगी के पास, ब्यावर रोड़, अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

उपस्थितः–
1– **श्री विकास चौहान**, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2– **श्री विरेंद्र सिंह राठौड़**, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं–2
3– **श्री आनंद पंवार**, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं–3 लगायत 5

।। **आ दे श** ।। **दिनांकः– 16.03.2026**

1– प्रार्थी ने दिनांक 16.08.2024 को यह आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 वास्ते मृतक श्री रामचंद्र गोयल के परिशिष्ट "क" में वर्णित राशि मय ब्याज बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत किया है।

2– प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र में संक्षिप्त में यह तथ्य उल्लेखित किए है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 4 से 5 के पिता एवं अप्रार्थिया संख्या 03 के पति स्व. श्री रामचंद्र का दिनांक 13.05.2024 को देहान्त हो गया है। स्व. रामचंद्र ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 02 के यहां से एक 10,00,000/–रुपये की एफ.डी. हस्तगत की थी, जिसके खाता संख्या 06300300010581 सावधि सूचना संख्या FDR1909235149 कस्टम आई.डी. संख्या 024299526 व्यवहार खाता संख्या 06300100008544 है, जिसकी दिनाक 22.10.2024 तक वेल्यू 10,83,327/–रूपये थी। प्रार्थी उक्त एफ.डी. राशि का परिपक्वता अवधि पूर्व ही भुगतान प्राप्त करने हेतु गया तो अप्रार्थी संख्या 02 ने भुगतान से इन्कार कर दिया व उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लाने हेतु कहा। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 05 के अलावा

मृतक स्व. रामचंद्र के अन्य कोई जीवित वारिसान नहीं है, प्रार्थी ही स्व. रामचंद्र की उक्त एफ.डी. मय परिलाभों का भुगतान मय ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 05 को भी बतौर प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने उक्त वर्णित राशि बाबत् समस्त प्रकार के हक अधिकार व सुखाधिकार पूर्व में ही मौखिक रूप से त्याग दिए हैं। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्व. रामचंद्र के संलग्न परिशिष्ट "क" में वर्णित राशि मय ब्याज की प्राप्ति हेतु प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निवेदन किया।

3– अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि उक्त वर्णित एफ.डी. में स्व. रामचंद्र जी द्वारा बतौर नॉमिनी किसी रमेश नामक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में बैंक के नियमानुसार मृत व्यक्ति की एफ.डी. की राशियों को नॉमिनी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को तभी दी जा सकती है, जब वह सक्षम न्यायालय से राशि प्राप्ति के संबंध में उचित आदेश प्राप्त कर बैंक में पेश करे। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 05 के अतिरिक्त मृतक रामचंद्र का कोई जीवित वारिसान हो, इसकी जानकारी अप्रार्थी को नहीं है। यदि न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 02 को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4– अप्रार्थीगण संख्या 03 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्द पंवार द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है।

5– बहस उभय पक्ष सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 03 लगायत 05 की ओर से स्वीकरोक्ति का जवाब पेश करने तथा अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा मुख्यतः कोई आपत्ति नहीं करते हुए नियमानुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर अनापत्ति जाहिर करने पर प्रकरण में विवाद्यक विरचित नहीं किए गए। तदुपरान्त न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि –

"आया प्रार्थी, मृतक रामचंद्र का विधिक वारिस होने से परिशिष्ट "क" में वर्णितानुसार कुल बीमा राशि 10,83,327/– रुपये मय ब्याज प्राप्त करने के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवाने का अधिकारी हैं ? "

6– साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी गवाह निकेश कुमार ए.डब्ल्यू–1 के रूप में शपथ पत्र पर परीक्षित हुए और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 व 1ए आधार कार्ड एवं फोटोप्रति, प्रदर्श–2 व 2ए जमा पुष्टि सूचना व फोटोप्रति पेश कर प्रदर्शित करवाये गए।

7– अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

निष्कर्ष एवं उसके आधार

8– साक्ष्य के प्रक्रम पर प्रार्थी निकेश कुमार ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को बतौर ए.डब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित कराया तथा स्वयं द्वारा पेश शपथ पत्र में मूल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की समग्र रूप से ताईद करते हुए यह बयान दिया कि "प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 4 से 5 के पिता एवं अप्रार्थिया संख्या 03 के पति स्व. श्री रामचंद्र का दिनांक 13.05.2024 को देहान्त हो गया है। स्व. रामचंद्र ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 02 के यहां से एक

10,00,000/–रुपये की एफ.डी. हस्तगत की थी, जिसके खाता संख्या 06300300010581 सावधि सूचना संख्या FDR1909235149 कस्टम आई.डी. संख्या 024299526 व्यवहार खाता संख्या 06300100008544 है, जिसकी दिनाक 22.10.2024 तक वेल्यू 10,83,327/–रूपये थी। प्रार्थी उक्त एफ.डी. राशि का परिपक्वता अवधि पूर्व ही भुगतान प्राप्त करने हेतु गया तो अप्रार्थी संख्या 02 ने भुगतान से इन्कार कर दिया व उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लाने हेतु कहा। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 05 के अलावा मृतक स्व. रामचंद्र के अन्य कोई जीवित वारिसान नहीं है, प्रार्थी ही स्व. रामचंद्र की उक्त एफ.डी. मय परिलाभों का भुगतान मय ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 05 को भी बतौर प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने उक्त वर्णित राशि बाबत् समस्त प्रकार के हक अधिकार व सुखाधिकार पूर्व में ही मौखिक रूप से त्याग दिए हैं। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्व. रामचंद्र के संलग्न परिशिष्ट "क" में वर्णित राशि मय ब्याज की प्राप्ति हेतु प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निवेदन किया एवं अपने पक्ष समर्थन में प्रदर्श–1 व 1ए आधार कार्ड एवं फोटोप्रति, प्रदर्श–2 व 2ए जमा पुष्टि सूचना व फोटोप्रति पेश कर प्रदर्शित करवाये गए।

9– हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पेश मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो प्रार्थी ने अपने पिता स्व. रामचंद्र का दिनांक 13.05.2024 को स्वर्गवास होना कथित किया है, परंतु इस संबंध में स्व. रामचंद्र का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया है। परंतु इस संबंध में पत्रावली पर अवस्थित सजरा प्रमाण पत्र, जो वार्ड पार्षद द्वारा जारी किया गया है, के अवलोकन से इसमें श्री रामचंद्र का स्वर्गवास दिनांक 13.05.2024 को होना उल्लेखित किया गया है। प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 05, जो प्रार्थी की माता व बहिनें है, के द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाब पेश करते हुए प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना कथित किया है।

10– इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अपना जवाब पेश कर यह उल्लेखित किया है कि उक्त खाते में खाताधारक द्वारा किसी रमेश नामक व्यक्ति को नामांकित किया गया है व बैंक के दिशा–निर्देशों अनुसार नॉमिनी को ही खाते की समस्त राशि का भुगतान किया जाना होता है, किंतु आज दिनांक तक नॉमिनी के द्वारा खाते के निपटान बाबत् दावा पेश नहीं किया गया है, ना ही अप्रार्थी आमजन की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थी की साक्ष्य का खंडन किया गया है। जहां तक मनोनीत व्यक्ति को राशि के भुगतान के संदर्भ में अप्रार्थी संख्या 02 की आपत्ति है, तो इस संदर्भ में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि *"नॉमिनी का कार्य केवल ट्रस्टी के समान होता है और Banking Regulation Act और Govt. Saving Certificate Act के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक नॉमिनी राशि अवश्य प्राप्त कर सकता है, परंतु वह राशि नॉमिनी को अपने पास रिटेन रखनी चाहिए और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकारियों को यह राशि देने का दायित्व नॉमिनी का होता है।"*

11– चूंकि हस्तगत प्रकरण में यह भी स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थी निकेश कुमार, जो कि मृतक स्व.श्री रामचंद्र का पुत्र है तथा अप्रार्थिया संख्या 03 लगायत 05 जो कि मृतक स्व.श्री रामचंद्र की पत्नी व पुत्रियां है, जिन्होंने स्व. रामचंद्र के परिशिष्ट "क" में वर्णित राशि मय परिलाभों बाबत् प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श ए2 एफ.डी. में अप्रार्थी संख्या 02 के कथनानुसार किसी भी नॉमिनी का नाम अंकित नहीं है।

12– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, प्रार्थी की

अखण्डनीय साक्ष्य एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 द्वारा प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संदर्भ में दी गई सहमति के दृष्टिगत प्रार्थी निकेश कुमार संलग्न परिशिष्ट ''क'' के अनुसार मृतक स्व. श्री रामचंद्र के अप्रार्थी संख्या 02 के यहां बैंक खाता संख्या 06300300010581 सावधि सूचना संख्या FDR1909235149 कस्टम आई.डी. संख्या 024299526 व्यवहार खाता संख्या 06300100008544 में दिनांक 22.10.2024 तक जमाशुदा राशि 10,83,327/– रुपये मय ब्याज के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवाए जाने का अधिकारी पाया जाता है।

– आ दे श –

13– अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 **स्वीकार** किया जाकर प्रार्थी श्री निकेश कुमार को स्व. श्री रामचंद्र का जीवित पुत्र/विधिक वारिस होने से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ''क'' में वर्णितानुसार मृतक स्व. रामचंद्र के बैंक खाता संख्या 06300300010581 सावधि सूचना संख्या FDR1909235149 कस्टम आई.डी. संख्या 024299526 व्यवहार खाता संख्या 06300100008544 में दिनांक 22.10.2024 तक जमाशुदा राशि 10,83,327/– रुपये मय ब्याज संबंधित विभाग से नियमानुसार प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करवाने का अधिकारी है। यह उत्तराधिकार प्रमाण पत्र उक्त प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य कहीं उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

14– प्रार्थी द्वारा नियमानुसार न्यायशुल्क प्रस्तुत करने पर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावे। साथ ही प्रार्थी इस आशय की भी अण्डरटेकिंग न्यायालय के समक्ष पेश करें कि भविष्य में उक्त राशि के संदर्भ में अन्य किसी व्यक्ति द्वारा विवाद किया जावे तो प्रार्थी मय ब्याज उक्त राशि जमा करवाने के लिए उत्तरदायी होगा। विहित समय अवधि में न्यायशुल्क पेश करने पर ही उक्त आदेश प्रभावी होगा।

(डॉ. वीनू नागपाल)
अपर जिला न्यायाधीश,
संख्या 01, ब्यावर, जिला ब्यावर।

15– आदेश आज दिनांक **16.03.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. वीनू नागपाल)
अपर जिला न्यायाधीश,
संख्या 01, ब्यावर, जिला ब्यावर।

Steno Gr. III
"Authenticate Document"
Digitally signed by SURYA PRAKASH
Date: 2026.03.16 17:15:48 +0530

SURYA PRAKASH